FTS:- 4160

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो / बिल्डर्स / का0आ0 / 2020 / 424
दिनांक : 16 जनवरी, 2020

कार्यालय आदेश

पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार नियोजन विभाग द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व बिल्डर्स विभाग से निम्न आशय के प्रमाण पत्र मांगे जाते थेः–

1. भूखण्ड के सापेक्ष अदेयता प्रमाण
2. समय विस्तरण प्रमाण पत्र

इसके अतिरिक्त आवंटी द्वारा बिल्डर्स विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र मांगा जाता था उस समय भूखण्ड के प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीजरेंट जमा कराये जाने के उपरान्त ही अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाता था । समय विस्तरण शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया जाता था ।

इसके उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या मु0का0अ0 / का0आ0 / 2019 / 1260 दिनांक 15.04.2019 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व भूखण्ड के सापेक्ष प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर, लीजरेंट एवं समय विस्तरण शुल्क जमा कराया जायेगा ।

इसके उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा एन / 91–92 पर निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि उक्त संदर्भित कार्यालय आदेश संख्या मु0का0अ0 / का0आ0 / 2019 / 1260 दिनांक 15.04.2019 में उल्लेखित प्राविधानों के फलस्वरूप कार्यों के सम्पादन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । बिल्डर्स आवंटियों को कार्यपूर्ति जारी नहीं हो पा रहा है, जिसके फलस्वरूप बायर्स को फ्लैटों का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । आवंटियों को बंधक अनुमति / बंधक अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बिल्डर्स / बायर्स को बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है ।

अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ कार्यालय आदेश संख्या मु0का0अ0 / का0आ0 / 2019 / 1260 दिनांक 15.04.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. अदेयता प्रमाण पत्र जारी करते समय भूखण्ड के सापेक्ष तत्समय तक प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीजरेंट का जमा होना अनिवार्य होगा । यह अदेयता प्रमाण पत्र भूखण्ड के सापेक्ष अगली देयता की तिथि तक वैद्य रहेगा ।
2. समय विस्तरण शुल्क की वसूली कार्यपूर्ति के समय आवंटी से की जायेगी तथा समय विस्तरण शुल्क की गणना कार्यपूर्ति की अंतिम औचारिकता पूर्ण करने की तिथि तक की जायेगी, जिसके लिये नियोजन विभाग अपने स्तर से समिति गठित कर पॉलिसी बनायेगा एवं जब भी आवंटी कार्यपूर्ति हेतु आवेदन करेगा तो नियोजन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह बिल्डर्स विभाग से दो अदेयता प्रमाण पत्र अलग–अलग पत्रों द्वारा मांगेगा । प्रथम अदेयता प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति की तिथि तक समय विस्तरण शुल्क हेतु एवं द्वितीय अदेयता प्रमाण पत्र, जिसमें प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीजरेंट शामिल होगा, जारी किया जायेगा ।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.01.2020 के क्रम में जारी किये जा रहे है । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ ।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

16.01.2020
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी